

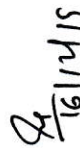
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	बालाघाट जिले के अन्तर्गत ग्राम खैरलांजी में शासकीय हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु 0.410 हेक्टेयर वन भूमि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक बालाघाट को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:-16.12.2019

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal